कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बस्ती

संख्या 20 /पन्द्रह–6–2011/दिनॉक : बस्ती : 13 जनवरी, 2025

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या –590/Admin. (E–I) Section/XC–4/ Dated: Allahabad: दिनांकित 13–01–2025 के द्वारा निगोशियेबल इंस्ट्रूमेन्ट एक्ट 1881, के अधीन दिनांक 14–01–2025 (मंगलवार) को मकर संक्रान्ति के पर्व के अवसर पर प्रदेश के सभी जनपद न्यायालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय के उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देश के अनुपालन में जनपद न्यायालय बस्ती एवं ग्राम न्यायालय हरैया, भानपुर, रुधौली में दिनांक 14–01–2025 (मंगलवार) को मकर संक्रान्ति के पर्व पर पूर्व में घोषित स्थानीय अवकाश के स्थान पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष 2025 के उपयोगार्थ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित अवकाश सूची (कैलेण्डर) के टिप्पणी के प्रस्तर–3 में दिये गये निर्देश के अनुसार पॉच स्थानीय अवकाश जिला मजिस्ट्रेट के विचार विमर्श से अधीनस्थ न्यायालयों में घोषित किये जाने हेतु जनपद न्यायाधीश को अधिकृत किया गया है। अधोहस्ताक्षरी के आदेश संख्या– 17/ पन्द्रह–6–2011/ दिनांकः बस्तीः दिनांकित 08–01–2025 के द्वारा निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था।

क्रम सं०	पर्व/त्योहारों का नाम	तिथि	सप्ताह का दिन
1.	मकर संक्रान्ति	14.01.2025	मंगलवार
2.	होली	15.03.2025	शनिवार
3.	जमात–उल–विदा (अलविदा)/रमजान का अन्तिम शुक्रवार	28.03.2025	शुक्रवार
4.	शिवरात्रि/गौरी पूजन (कांवड़)	23.07.2025	बुधवार
5	दशहरा (महानवमी)	01.10.2025	बुधवार

परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र के द्वारा निगोशियेबल इंस्ट्रूमेन्ट एक्ट 1881, के अधीन दिनांक 14–01–2025 (मंगलवार) को मकर संक्रान्ति के पर्व के अवसर पर प्रदेश के सभी जनपद न्यायालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में पूर्व में मकर संक्रान्ति दिनांक 14–01–2025 दिन मंगलवार के उपलक्ष्य में घोषित स्थानीय अवकाश के स्थान पर एक दिवस का अन्य स्थानीय अवकाश घोषित किया जा सकता है

जिला मजिस्ट्रेट बस्ती के कार्यालय से वर्ष 2025 में उपयोग के लिए प्राप्त अवकाश सूची के अनुसूची–1 में दिनांक 05.11.2025 को गुरू नानक जयन्ती/ कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित है। माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त अवकाश सूची में उक्त तिथि को किसी प्रकृति का अवकाश घोषित नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त अवकाश सूची के टिप्पणी– 3 तथा परिपत्र संख्या–68/दस–ई–4 दिनांकित 26.07.1980 में दिये गये निर्देश के अनुसरण में स्थानीय महत्व के त्योहारों/पर्वो के उपलक्ष्य में स्थानीय अवकाश घोषित किया जा सकता है।

13/01/25

(58)

अतः शासन द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश एवं जिला मजिस्ट्रेट बस्ती द्वारा घोषित स्थानीय अवकाश तथा स्थानीय महत्व के अन्य अवकाश को दृष्टिगत रखकर मैनुअल ऑफ गवर्नमेन्ट आर्डर्स (संशोधित 1981 संस्करण) पैरा- 247 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित अवकाश कलेण्डर-2025 के प्रस्तर- 3 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस न्यायिक अधिष्ठान एवं ग्राम न्यायालय हर्रैया, भानपुर, रुधौली में निम्नानुसार एक दिवस का **स्थानीय अवकाश** घोषित किया जाता है:-

क्रम सं०	पर्व/त्योहार का नाम	तिथि	सप्ताह का दिन
1.	गुरू नानक जयन्ती/ कार्तिक पूर्णिमा	05-11-2025	बुधवार

उपरोक्त तिथि को इस न्यायिक अधिष्ठान तथा ग्राम न्यायालय हर्रैया, भानपुर, रुधौली के समस्त न्यायालय एवं कार्यालय बन्द रहेंगे तथा उक्त तिथि को नियत वादों (यदि कोई हो) की सुनवाई अगले कार्य दिवस को की जायेगी।

इस आदेश को जनपद न्यायालय, बस्ती के स्थानीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाये।

समस्त सम्बन्धित सूचित हो।

जनपद न्यायाधीश,
बस्ती।

पृष्ठांकन संख्या 217 **/पन्द्रह-6-2011/दिनॉक : बस्ती:** 13 **जनवरी, 2025**

1. महा निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, बस्ती को, माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, बस्ती, के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रार्थना के साथ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी, बस्ती।
4. पुलिस अधीक्षक, बस्ती।
5. समस्त न्यायालय/कार्यालय, जनपद न्यायालय, बस्ती।
6. अधीक्षक जिला कारागार, बस्ती।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती।
8. जिला सूचना अधिकारी/सहायक सूचना निदेशक, जनपद बस्ती को इस आशय से प्रेषित कि वे उपरोक्त अवकाश की सूचना का प्रचार-प्रसार निःशुल्क रूप से अपने स्तर से सुनिश्चित करें।
9. समस्त अधिवक्ता संघ, जनपद मुख्यालय, बस्ती।
10. जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) बस्ती।
11. जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) बस्ती।
12. संयुक्त निदेशक अभियोजन, बस्ती।
13. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती।
14. नोटिस बोर्ड।

Vinai Kumar Dwivedi 13/01/25
जनपद न्यायाधीश,
बस्ती।
जनपद न्यायाधीश
बस्ती।